केकड़ी

FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

आ० स्वीकार/ दिनांक
31/1/2020

APP-A
Crim-1

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

गोपाल पुत्र सुखदेव जाति बनाम चन्दा देवी पत्नि प्रहलाद जाति जाट

सुरता पुत्र छुवा जाति जाट व अन्य।

किस्म मुकदमा 225 आर.आर.एक्ट नम्बर 31/2020 सन् 2020 (केकड़ी)

2020/00031 (केकड़ी)

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री राकेश अरोड़ा श्री एड०	
31.1.20	यह अपील श्री राकेश अरोड़ा एड़वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 20.01.2020 वाद संख्या ..../2019 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। प्रार्थना पत्र स्थगन व अपील पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 1777, 1928, 3285, 1732, 1759, 2775, 2777 वाकै ग्राम केकड़ी में अवस्थित हैं। उक्त आराजीयात में जगदीश पुत्र सुखदेव का 1/4 हिस्सा, खसरा नम्बर 1732 मे 1/2 हिस्सा व खसरा नम्बर 1759, 2775, 2777 में 1/4 हिस्सा निहित रहा हैं। खातेर जगदीश पुत्र सुखदेव द्वारा अपीलांट/वादी के पक्ष में स्वंय के जीवनकाल में दिनांक 31.12.2018 को वसीयतनामा निष्पादित कराया गया है एवं दिनांक 05.01.2019 को जगदीश पुत्र सुखदेव का देहान्त होने के उपरान्त उक्त आराजीयात में स्वंय के नाम नामान्तकरण स्वीकृत कराए जाने हेतु प्रार्थना पत्र वादी/अपीलांट द्वारा तहसीलदार, केकड़ी के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस बाबत् उनके द्वारा नामान्तकरण स्वीकृत नहीं किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम नामान्तकरण स्वीकृत किया जा रहा है जबकि वसीयत के आधार पर एक मात्र उत्तराधिकारी मृतक सुखेदव अपीलांट रहा है जिसके पक्ष में नामान्तकरण स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है। उक्त आराजीयात अपीलांट बहैसियत खातेदार काबिज काश्तकार चले आ रहें है। उपरोक्त आराजीयात की खातेदारी घोषणा हेतु राजस्व वाद विचारण न्यायायाल उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17.01.2020 को दर्ज कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किए जाने के आदेश पारित किए गए एवं पेशी दिनांक 12.02.2020 नियत की है। उक्त पेशी से पूर्व वादग्रस्त आराजीयात स्वयं के नाम अंकन कराया जाना, बेचान किए जाने बाबत् कार्यवाही किए जाने पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तरिम स्थगन पारित किए जाने हेतु एवं शीघ्र सुनवाई हेतु दिनांक 20.01.2020 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाकर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर एक मात्र नामान्तकरण आदेश की अपील किए जाने बाबत् अंकन होने के आधार पर अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त किए जाने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रमि दृष्टया प्रकरण में अंतिम राहत नहीं दी जा सकती है वर्णित करते हुए आक्षेपित आदेश से उपरोक्त स्थगन प्रार्थना पत्र प्रदान किए जाने से इन्कार किए जाने में त्रुटि कारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 20.01.2020 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।	लगातार
राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर		

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

31/2020/225 गोपाल बनाम चन्द्रा देवी वगैरा

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	20.10.2023 श्री राजेश अरोड़ा, एड. श्री	

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्टस द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को स्वंय के नाम अंकन कराया जाकर अन्यत्र बेचान किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात जो की राजस्व अभिलेख में कृषि आराजीयात है को खुर्द–बुर्द किया जा रहा है एवं उक्त बाबत् समस्त कार्यवाही एकमात्र स्वंय के नाम वादग्रस्त आराजीयात का अंकन होने के आधार पर की जा रही है जो प्रथमदृष्टया ही अवैधानिक है। अपीलांट को उसक अधिकारो से महरूम किये जाने की नीयती से उक्त आराजीयात को बेचान किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् अपील प्रस्तुत किए जाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नही है। पारित आक्षेपित आदेश संशोधित कर मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाना न्यायोचित है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2020 संशोधित फरमाया जावें एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात को बेचान नहीं किए जाने व मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने व अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं किए जाने बाबत् आदेश प्रदत्त करते हुए पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश न्यायहित में जारी किए जावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष में आर.आर.टी. 2011(1)पेज 152 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हम अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत से सहमत है कि अत्यावश्यकता के मामले में एक पक्षीय अन्तरिम आदेश पारित किया जा सकता है। उक्त के मद्देनजर यह आवश्यक है कि अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अति आवश्यक प्रकृति का होने से न्यायालय के समक्ष प्रथम बार प्रस्तुत होते ही उस पर युक्तियुक्त आदेश पारित किया जाना चाहिए। यह कार्यवाही न्यायायल द्वारा उसी तत्परता से परीक्षण किया जाना चाहिए जैसा कि चिकित्सालय के आपातकालीन कक्ष में पहुँचे व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है तथ मरीज को चोट/बीमारी की गम्भीरता को देखते हुए तुरन्त आवश्यक उपचार दिया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया है एवं उभयपक्षों के मध्य कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद विद्यमान है। इस सम्बन्ध में उच्चतर न्यायालयों के विभिन्न न्यायिक दृष्टांत में पारित सिद्धान्त की अवधारणा के अनुसार कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद मौजूद होने पर विवादित आराजी यथास्थिति के आदेश से संरक्षित किया जाना न्यायसंगत है।

अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण 30 दिवस में करें तब तक उभयपक्षकारान वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 1777 रकबा 1.59 है., खसरा नम्बर 1928 रकबा 0.73 है., खसरा नम्बर 3285 रकबा 0.35है., खसरा नम्बर 1732 रकबा 2.98है., खसरा नम्बर 1759 रकबा 1.22 है., खसरा नम्बर 2775 रकबा 0.36 है., खसरा नम्बर 2777 रकबा 0.63 है. वाकै ग्राम केकड़ी की राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण हो जाने पर न्यायालय हाजा को आदेश निष्प्रभावी रहेगा। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी